

## 1. प्रत्यक्ष और परोक्ष कर (DIRECT AND INDIRECT TAXES)

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के मध्य अन्तर साधारण है और सब जानते हैं। प्रो. डाल्टन (Prof. Dalton) ने इन के मध्य अन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि—“प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो विधिगत रूप से जिस पर लगाए जाते हैं उसे ही उनका भुगतान करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, परन्तु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से दूसरे के द्वारा दोनों के मध्य हुये किसी सविदा अथवा व्यापार के कारण, भुगतान किए जाते हैं।” “That a direct tax is really paid by a person on whom it is legally imposed, while an indirect tax is imposed on one person, but paid partly or wholly by another, owing to consequential change in the terms of some contract or bargaining between them.”

इस प्रकार परोक्ष कर एक से दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित हो जाता है जबकि प्रत्यक्ष कर किसी अन्य पर स्थानान्तरित नहीं होता। प्रत्यक्ष कर में करदेयता (Impact) (मुद्रा भार) तथा कर बाध्यता (incidence) एक व्यक्ति पर ही पड़ता है जबकि परोक्ष करों में करदेयता (Impact) तथा कर बाध्यता (incidence) विभिन्न लोगों पर पड़ता है। आय-कर की साधारणतः प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के परोक्ष कर के रूप में जाना जाता है।

जे. एस. मिल (J.S. Mill) के अनुसार—“प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति से मांगा जाता है जो उसके भुगतान करने की इच्छा रखता है। परोक्ष कर एक व्यक्ति से इस आशा व इच्छा से मांगे जाते हैं कि वह अन्यो के खर्चों पर स्वयं को अभिव्यक्त करें।” “A direct tax is one, demanded from the very person who is intended or desired should pay it. Indirect taxes are those which are demanded from one person in the expectation and intension that he shall identify himself at the expenses of another.”

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जिस पर लगाए लगाए जाते हैं, जबकि परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं जबकि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं। अतः यह अन्तर सार्वजनिक प्राधिकरण के इच्छा के अनुरूप है। व्यक्तिगत आय-कर और मालिक मकान द्वारा दिए गए कर प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क परोक्ष कर हैं क्योंकि इनका भार व्यापारी से उपभोक्ता को स्थानान्तरित होता है। टेलर (Taylor) के अनुसार ‘प्रत्यक्ष’ एवं ‘परोक्ष’ का अन्तर केवल ‘स्थानान्तरण’ के रूप में है। प्रत्यक्ष करों का अन्तरण नहीं होता जबकि परोक्ष करों का होता है। इसमें बाध्यता की समस्या उन करों के सम्बन्ध में आती है जो पूँजी के स्टॉक पर आधारित होते हैं। हार्टले (Hartley) के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का अन्तर, अन्तिम की वजाए तत्कालीन प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए जो विधिवत रूप से स्थानान्तरित होते हैं वह प्रत्यक्ष कर हैं और जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानान्तरित होते हैं अप्रत्यक्ष हैं। प्रो. डी. मैक्रो (Prof. De Macro) ने और तात्त्विक परिभाषा दी है—“प्रत्यक्ष कर वह कर हैं जो करदाता की आय को प्रभावित करते हैं जब वह इस आय को प्राप्त करता है जबकि परोक्ष कर व्यक्तिगत उपभोग और सम्पत्ति स्थानान्तरण पर प्रभाव डालते हैं। परोक्ष कर उपभोक्ता की आय को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह वस्तुएँ खरीदने जाता है।” “Direct taxes are those taxes which affect the income of the tax payer when he receives such income whereas indirect taxes are those taxes which affect the individual consumption and transfer of property. Indirect taxes affect the income at the time when the consumer goes to buy goods.”

ए. आर. प्रैस्ट (A.R. Prest) के अनुसार—“जो कर आय की प्राप्ति पर आधारित होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और जो व्यय पर आधारित हैं, परोक्ष हैं। इसीलिए आय-कर, लाभ कर, पूँजी लाभ प्रत्यक्ष कर हैं और सामा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क परोक्ष कर हैं।” “Those taxes which are based on receipt of income, are termed as direct whereas those levied on expenditure, are termed as indirect. Income tax, profit tax and capital gains taxes are therefore, direct custom duties, excise duties and stamp duties are indirect.”

इस प्रकार यह वर्गीकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के मध्य अन्तर उस आय तथा व्यय के आधार पर करता है जिस पर कर लगता है। दूसरे वह आय और व्यय को एक मद मानते हैं।

प्रो. बेस्टेबल (Prof. Bastable) ने प्रत्यक्ष करों को परोक्ष करों से इस प्रकार अलग किया है। "ऐसे कर जो स्थायी या बार-बार होने वाली घटनाओं पर आधारित हैं वह प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि कभी कभी या किसी विशेष घटना पर लगाया गया प्रभार परोक्ष कर है।" "Taxes while levied on permanent or recurring occasions are direct taxes, while charges on occasional or particular events are indirect taxes."

यह विचार भी इनका अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। यह संभव नहीं है कि किसी विशेष घटना पर लगाया गया प्रभार सदैव ही परोक्ष कर हो। डा. निचोलस कैल्डोर (Dr. Nicholas Kaldor) ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में अन्तर व्यक्तियों तथा निगमों तथा लेन देन पर लगाने वाले करों के संदर्भ में किया है अतः वे सभी कर जो आय और सम्पत्ति पर लगते हैं प्रत्यक्ष कर होंगे जबकि सम्पत्ति के क्रय विक्रय तथा स्टैम्प शुल्क परोक्ष कर।

संक्षेप में, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में अन्तर को बताना सरल नहीं है। एक कर एक समय में प्रत्यक्ष कर है तो दूसरे समय में परोक्ष कर के गुण ग्रहण कर लेता है अथवा इसके विपरीत। उपरोक्त विचारों की चर्चा से स्पष्ट है कि केवल कर भार के अन्तरण के आधार पर वर्गीकरण तुलनात्मक रूप से वैज्ञानिक और पूर्ण है।

### प्रत्यक्ष करों के गुण (Merits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों के निम्नलिखित गुण हैं :

1. मितव्ययी (Economical)—प्रत्यक्ष कर मितव्ययी होते हैं क्योंकि इन्हें प्रायः स्रोत पर एकत्र किया जाता है इन करों को उसी समय एकत्रित किया जाता है जब सरकार का कर एकत्रित करने में व्यय कम होता है। इसके अतिरिक्त करदाता सीधा राज्य को भुगतान करता है जिसमें करदाता द्वारा दी गयी सम्पूर्ण राशि राज कोष में जमा होती है।

2. समानता (Equity)—यह न्यायपूर्ण और समानता लिए हैं क्योंकि यह सोच समझकर कर देने की क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों में प्रगतिशीलता होती है और इन से सामाजिक और आर्थिक न्याय के स्तर तक सरलता से पहुँचा जा सकता है। यह कर अमीरों पर अधिक मात्रा में और गरीबों पर कम मात्रा में लगाए जाते हैं।

3. नागरिक चेतना (Civic Consiousness)—प्रत्यक्ष कर आम जनता में नागरिक चेतना का संचार करते हैं। आय कर जैसे प्रत्यक्ष कर देने से लोगों को पीड़ा होती है और कर दाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। यदि कर से एकत्रित राशि को विकास कार्यों पर लगाया जाए तो वे इस ओर ध्यान नहीं देते। क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा कमाना कितना कठिन है और उसे व्यर्थ कार्यों में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष कर राज्यों के कार्यों में रुचि उत्पन्न करता है। इससे करदाताओं में जिम्मेवारी की भावना में वृद्धि होती है। यदि गणतन्त्र में नागरिक सचेत हों तो सार्वजनिक मुद्रा की व्यर्थता को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

4. असमानता में कमी (Reduction in Inequality)—प्रत्यक्ष करों की प्रकृति प्रगतिशील होती है अर्थात् उच्च आय समूह को उच्चतर कर दर देनी होती है। जबकि निम्न आय वर्ग को कर से छूट प्राप्त होती है। इस प्रकार काफी हद तक इससे आय की असमानता में कमी आती है।

5. निश्चितता (Certainty)—प्रत्यक्ष कर निश्चितता के सिद्धांत को सन्तुष्ट करते हैं। व्यक्ति वह पहले से ही कर भुगतान के लिये उपयुक्त प्रावधान कर सकता है। प्रत्यक्ष करों से सरकार निश्चित राशि एकत्रित करती है। अतः सार्वजनिक प्राधिकारी इसका आकलन करके योजनाएं बना सकते हैं।

6. लोच (Elasticity)—प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं। क्योंकि कठिन समय में कर की दर को बढ़ाकर कर की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। लोगों की आय में वृद्धि से कर में वृद्धि होती है।

7. शिक्षा मूल्य (Educative Value)—आम जनता में प्रत्यक्ष करों का शिक्षाप्रद मूल्य भी है। लोगों को एकत्रित कर राशि का ज्ञान होता है और वे सार्वजनिक व्यय की व्यर्थता को रोक सकते हैं।

8. समझने में सरल (Easy to Understand)—समाज के आम आदमी को भी प्रत्यक्ष करों की जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आबंटन में कोई बाधा नहीं डालता है।

### प्रत्यक्ष करों के अवगुण (Demerits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं—

1. असुविधा (Inconvenience)—प्रत्यक्ष करों का मुख्य अवगुण असुविधा है क्योंकि इसके लिए बहुत प्रकार का

लेखा-जोखा और अन्य औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। कई बार करदाता को बड़ी मात्रा में एक मुश्त राशि देनी पड़ती है जो उनके लिये असुविधाजनक होती है। कर प्रणाली थोड़ी जटिल तथा कठिन है अतः आम आदमी को इसकी निहित बातें समझ में नहीं आती। अतः उसे कुशल व्यक्ति की राय के लिए कीमत देनी पड़ती है।

**2. अलोकप्रिय (Unpopular)** – यह कर व्यक्तियों पर प्रत्यक्षतः लगाए जाते हैं। अतः करदाता इन्हें देने में असुविधा महसूस करते हैं। यह कर करदाताओं के मध्य अलोकप्रिय होता है और वह इसे देने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

**3. खर्चीला (Uneconomical)** – इस प्रकार के करों को एकत्रित करने की लागत कुछ अधिक होती है क्योंकि करदाताओं की संख्या अधिक है और कर कम एकत्रित होता है। इसके लिए मशीनों और स्टॉफ की आवश्यकता पड़ती है जिससे व्यय में वृद्धि होती है।

**4. कर बचन की संभावना (Possibility of Evasion)** – प्रत्यक्ष कर करदाताओं की ईमानदारी पर निर्भर है। अतः कर बचन की पूरी संभावना है। लोग कर अधिकारियों को अपनी सही आय नहीं बताते हैं। इस लिए वे स्वयं को कर से बचाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं।

**5. अनिश्चितता (Uncertainty)** – कुछ आलोचकों का मत है कि भुगतान करने की क्षमता को मापने में कठिनाई के कारण प्रगतिशीलता को दर को निर्धारित करना संभव नहीं है। आय की सीमान्त उपयोगिता की व्यक्तिवादी प्रकृति को मापना भी सरल नहीं है। अतः अनिश्चितता के कारण प्रगतिशीलता में या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम बढ़ोतरी होती है।

**6. समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध (Against the Equity Principle)** – प्रत्यक्ष कर मनमाने होते हैं क्योंकि यह क्षमता के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। आय कर की दरें प्रायः सरकार के राजनैतिक विचारों पर निर्भर होती हैं। कई बार गरीब लोगों को कर से मुक्त रख कर अमीरों पर भारी कर लगाए जाते हैं जबकि यह न्याय के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार सार्वजनिक व्यय के भार को वहन करना चाहिए। इस प्रकार यह न्यायपूर्ण नहीं है।

**7. सीमित क्षेत्र (Narrow in Scope)** – प्रायः प्रत्यक्ष कर समाज के कुछ वर्गों के लोगों पर लगाए जाते हैं जिससे सभी लोगों के मन में नागरिकता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। अतः यह कर सीमित वर्ग पर लागू होते हैं।

**8. अल्पविकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं (Not Suitable to Underdeveloped Economies)** – अल्पविकसित देशों में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं और कर का सही अर्थ समझ नहीं पाते अतः ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में यह उपयुक्त नहीं है।

**9. पूंजी निर्माण में बाधक (Obstacle to Capital Formation)** – जब प्रत्यक्ष कर की दरें अधिक हो तो वह लोगों की कार्य, बचत, और निवेश की भावना पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः यह पूंजी निर्माण में बाधक है।

**10. केवल राजनैतिक निर्णय (Only Political Decision)** – प्रत्यक्ष कर के कुछ आलोचकों के अनुसार यह एक राजनैतिक निर्णय मात्र है जो देश के आर्थिक विकास में रुकावट डालता है।

## परोक्ष करों के गुण (Merits of Indirect Taxes)

परोक्ष करों का प्रत्यक्ष करों से बेहतर बताते हुए उसके कुछ गुणों पर चर्चा की जा रही है—

**1. सुविधा (Convenience)** – यह प्रत्यक्ष करों की तुलना में यह अधिक सुविधाजनक है। एकमुश्त की बजाए इनका भुगतान छोटी-छोटी किश्तों में होता है। प्रायः यह वस्तु के दाम में निहित होते हैं अतः उपभोक्ता को अतिरिक्त भार नहीं लगता है। लोग अपनी आवश्यकतानुसार इनका भुगतान करते हैं। यह उत्पादन अथवा आयातकर्ता पर लगाए जाने के कारण अधिक सुविधाजनक होते हैं।

**2. लोचदार (Elastic)** – परोक्ष कर लोचदार होते हैं क्योंकि आवश्यकतानुसार इन करों से प्राप्त राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक उत्पादों जैसे चीनी, तेल, नमक इत्यादि पर लगाए जाते हैं। जिनकी माँग बेलोचदार होती है। वास्तव में यह आधुनिक सरकारों की वित्तीय नीति महत्वपूर्ण तत्व हैं।

**3. कर बचन की संभावना नहीं (No Possibility of Evasion)** – व्यक्ति के लिए इन करों से बच पाना कठिन होता है क्योंकि यह उत्पाद के मूल्य में ही शामिल होते हैं। व्यक्ति केवल इनसे तभी बच सकता है यदि वह कर रहित उत्पादों का उपभोग करे। तस्करी के मामले में गलत खाते बनाकर ही इनसे बचा जाता है।

4. **समानता (Equity)** — यह समान है क्योंकि यह उपभोक्ता द्वारा उत्पाद पर दिए जाते हैं। यह विलासिताओं पर अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं क्योंकि उनका उपभोग अमीर वर्ग द्वारा किया जाता है।

5. **अधिक उत्पादन और निवेश (Higher Production and Investment)** — परोक्ष कर अर्थव्यवस्था के उत्पादन एवं निवेश गतिविधियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि सरकार भिन्न प्राथमिकता वाले उत्पादों पर उच्च दर से कर लगाकर और उच्च प्राथमिकता वाले उत्पादों को छूट देकर उत्पादन और निवेश की दिशा को बदल सकती है।

6. **सामाजिक कल्याण (Social Welfare)** — शराब, नशे आदि की वस्तुओं पर भारी कर लगाकर इनके उपभोग को सीमित किया जा सकता है जो सम्पूर्ण समाज के हित में है।

7. **प्रगतिशील प्रकृति (Progressive in Nature)** — यदि आवश्यक वस्तुओं को कर रहित करके विलासिता वाली वस्तुओं पर भारी कर लगाए जाएं तो यह कर अधिक प्रगतिशील होगा।

8. **विस्तृत क्षेत्र (Wider Coverage)** — परोक्ष कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगता है अतः इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इससे सरकार सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए वित्त प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण में सहयोग देता है।

9. **विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी (Suitable to Developing Economies)** — यह प्रणाली विकासशील देशों के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ होने के कारण उपयुक्त लेखा-जोखा नहीं रख पाते हैं। अतः वह वस्तुओं के अधिक मूल्यों के रूप में कर प्रदान करते हैं।

10. **एकत्रित करना सरल (Easy to Collect)** — इन्हें एकत्रित करना सरल है। साधारणतः यह वस्तु के मूल्य में निहित होते हैं और जो व्यक्ति उस वस्तु की खरीद करता है वह इनका भुगतान करता है। अतः सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इसे इकट्ठा करना आसान है।

### परोक्ष करों की हानियाँ (Demerits of Indirect Taxes)

परोक्ष करों को प्रतिगामी बचत और निश्चितता के लिए हतोत्साही बताया गया है परोक्ष करों के मुख्य अवगुण इस प्रकार हैं—

1. **प्रतिगामी प्रकृति (Regressive in Nature)** — परोक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं क्योंकि यह सब व्यक्तियों पर समान रूप से लगाए जाते हैं चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो। उपभोक्ता वस्तुओं पर यदि भारी कर लगाए जाएं तो गरीब वर्ग पर उनका प्रभाव अधिक पड़ता है।

2. **अनिश्चितता (Uncertainty)** — सरकार द्वारा एकत्रित राशि का पूर्वानुमान कठिन है। जैसे ही किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है उसके बाजार मार्केट मूल्य में वृद्धि होती है जिसके कारण उसकी माँग में कमी आती है। अतः कर लगाने से माँग में कितनी कमी आएगी इसका सहज अनुमान कठिन होता है।

3. **नागरिक चेतना नहीं (No Civic Consciousness)** — कर वस्तुओं पर लगाया जाता है जिससे उपभोक्ता कर के भार को अनुभव नहीं कर पाता अतः उसे सार्वजनिक व्यय प्रणाली का बोध नहीं होता और वह अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। करदाता प्रायः सरकारी काम में हो रही अनियमितताओं से तटस्थ बने रहते हैं।

4. **बचत का हतोत्साहित होना (Discourage Savings)** — परोक्ष कर बचतों को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि उपभोक्ता को वस्तु की खरीद पर अधिक खर्च करना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार अप्रत्यक्ष करों की अवहेलना से बचत में वृद्धि करती है।

5. **स्फीतिकारक (Inflationary)** — परोक्ष कर मूल्यों में वृद्धि करते हैं। इसमें क्रय शक्ति को छेड़े बिना विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है। अतः इससे उच्च मूल्य, उच्च लागत, उच्च वेतन और फिर उच्च मूल्यों की एक कभी समाप्त न होने वाली श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है।

6. **ज्यादा खर्चाले (More Uneconomical)** — परोक्ष कर अमितव्ययी होते हैं क्योंकि ज्यादातर मामलों में व्यापारी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाए गए करों की तुलना में अधिक कर वसूलते हैं।

7. असमानताकारी (Inequitable) – दूसरी कमी यह है कि परोक्ष कर असमान व अनुचित है क्योंकि समाज के निर्धन वर्ग को धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर देना पड़ता है।

8. सरकार के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं (No Direct Link with the Government) – परोक्ष करों द्वारा सरकार और करदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता है।

## प्रत्यक्ष और परोक्ष कर—तुलना (DIRECT AND INDIRECT TAXES—COMPARISON)

निम्नलिखित आधारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मध्य तुलना की जा सकती है—


1. कल्याणकारी पहलू
2. प्रशासनिक पहलू
3. वितरणात्मक पहलू

1. कल्याण पहलू (Welfare Aspect) – परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के विचार से कल्याण की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष करों की तुलना में परोक्ष करों का भार अधिक पड़ता है और कल्याण में अपेक्षाकृत अधिक कमी आती है।

इसे चित्र 11.1 की सहायता से दिखाया जा सकता है।

चित्र 11.1 में उत्पाद X और व्यक्ति की आय को क्रमशः X-अक्ष और Y-अक्ष द्वारा दिखाया गया है।  $C_1$  तटस्थता वक्र है जो PB रेखा को  $S_1$  पर छूता है। इस प्रकार उपभोक्ता Y उत्पाद की OB मात्रा को OP आय से खरीद सकता है। परन्तु वह  $S_1$  बिन्दु पर सन्तुलन में है जहाँ वह X की  $PQ_1$  मात्रा  $O_1$  आय से खरीद सकता है। इस स्थिति पर कोई कर भार नहीं है।

मान लो X उत्पाद पर उत्पाद शुल्क इस प्रकार लगाया जाता है कि मूल्य में की गई वृद्धि कर की मात्रा के बराबर हो। इस प्रकार उपभोक्ता OX की OA मात्रा समान आय OP से नहीं खरीद पाएगा। अब PA नई मूल्य रेखा होगी। सन्तुलन  $S_1$  से  $S_2$  पर होगा जहाँ नया तटस्थता वक्र  $C_2$  नई मूल्य रेखा को छूएगा और वह  $PQ_1$  की अपेक्षा केवल  $PQ_2$  की खरीद कर सकेगा। वास्तव में यह अधिक खर्च करके कम मात्रा  $O_2S_2$  खरीद पाएगा क्योंकि  $S_2T$  उत्पाद शुल्क है। इसका अर्थ है उत्पाद शुल्क और मूल्यों में अन्तर समान रूप से  $S_2T$  है।



चित्र 11.1

चित्र 11.1 में उत्पाद X और व्यक्ति की आय को क्रमशः X-अक्ष और Y-अक्ष द्वारा दिखाया गया है।  $C_1$  तटस्थता वक्र है जो PB रेखा को  $S_1$  पर छूता है। इस प्रकार उपभोक्ता Y उत्पाद की OB मात्रा को OP आय से खरीद सकता है। परन्तु वह  $S_1$  बिन्दु पर सन्तुलन में है जहाँ वह X की  $PQ_1$  मात्रा  $O_1$  आय से खरीद सकता है। इस स्थिति पर कोई कर भार नहीं है।

मान लो X उत्पाद पर उत्पाद शुल्क इस प्रकार लगाया जाता है कि मूल्य में की गई वृद्धि कर की मात्रा के बराबर हो। इस प्रकार उपभोक्ता OX की OA मात्रा समान आय OP से नहीं खरीद पाएगा। अब PA नई मूल्य रेखा होगी। सन्तुलन  $S_1$  से  $S_2$  पर होगा जहाँ नया तटस्थता वक्र  $C_2$  नई मूल्य रेखा को छूएगा और वह  $PQ_1$  की अपेक्षा केवल  $PQ_2$  की खरीद कर सकेगा। वास्तव में यह अधिक खर्च करके कम मात्रा  $O_2S_2$  खरीद पाएगा क्योंकि  $S_2T$  उत्पाद शुल्क है। इसका अर्थ है उत्पाद शुल्क और मूल्यों में अन्तर समान रूप से  $S_2T$  है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में अन्तर को जानने के लिए यदि समान राजस्व  $S_2T$  सरकार द्वारा एकत्रित किया जाए तो आय  $S_2T$  कम करनी होगी। अतः नई मूल्य रेखा  $P_1C$  होगी परन्तु उत्पाद के मूल्य में कोई कमी नहीं होगी। अतः नई मूल्य रेखा पुरानी मूल्य रेखा के समानान्तर होगी। सन्तुलन बिन्दु  $S_1$  होगा जहाँ नया तटस्थता वक्र मूल्य रेखा को छूएगा। इसका अर्थ है कि  $S_1$  बिन्दु  $S_2$  से अधिक सन्तोषप्रद है जिसका अर्थ है उपभोक्ता अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों से अधिक सन्तोष प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार डालते हैं।

2. प्रशासनिक पहलू (Administrative Aspect) – प्रशासनिक लागत और कुशलता की दृष्टि से दोनों करों में तुलना की जा सकती है। साधारणतः भारत में ज्यादातर लोगों की आय-कर से छूट दी गई है क्योंकि आय स्तर कम है। अतः प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष करों के माध्यम से राज्य के वित्त में अंशदान दे यह संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध से पहले विकसित देशों में भी वेतन भागियों से कर लेना सम्भव नहीं था। प्रशासनिक आधार पर इस प्रकार के देशों में अप्रत्यक्ष कर ज्यादा ठीक माने जाते थे। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं और प्रशासनिक लागत के आधार पर प्रत्यक्ष कर अधिक उचित माने जाते हैं।

इस प्रकार दोनों करों की तुलना से निष्कर्ष निकला है कि पिछड़े और अल्पविकसित देशों में अप्रत्यक्ष कर अधिक उचित है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रशासनिक लागत और कुशलता के आधार पर इन दोनों करों के मध्य उचित तथा उपयुक्त करना तुलना संभव नहीं है।

3. वितरणात्मक पहलू (Distributive Aspect)— वितरण के आधार पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों की तुलना की जा सकती है। करारोपण का एक मात्र लक्ष्य राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व इकट्ठा करना ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था में आय और सम्पत्ति के वितरण को समान करना भी है। इस मामले में प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील प्रवृत्ति होने के कारण आय और सम्पत्ति की असमानता को कम करने का मुख्य यत्न माना गया है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर सभी आय समूहों पर लगाए जाते हैं। अतः यह प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं और आय और सम्पत्ति की असमानता को दूर करने हेतु उपयुक्त नहीं होते।

### प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के मध्य चुनाव (CHOICE BETWEEN DIRECT AND INDIRECT TAXES)

प्रो. डी. मार्को का तर्क है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। कर लगाने से पहले व्यक्तियों की आय का अनुमान लगाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष तौर पर कर योग्य आय का अनुमान लगाना सदैव कठिन होता है क्योंकि लोग अपनी आय छिपाते हैं जो आय प्रत्यक्ष तौर पर छिपाई जाती है अप्रत्यक्ष तौर पर उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के कर एक दूसरे की कमियों को दूर करके और कर के भार को समान रूप से वितरित करके पूरक का कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त जब किसी व्यक्ति की आय समय-समय पर बदलती रहती है तो आय का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता और प्रत्यक्ष कर भुगतान क्षमता के सही सूचक नहीं होते आय के साथ उपभोग स्तर बदलता है अतः परोक्ष कर से बदलती आय का अनुमान लगाना सम्भव होता है। अतः परोक्ष कर प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं। इसी प्रकार अकेले परोक्ष कर व्यक्ति की आय का सही अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि सभी वस्तुओं पर कर नहीं लगता। अतः परोक्ष करों के प्रत्यक्ष करों से सहयोग करना होगा।

इस प्रकार दोनों प्रकार के करों के महत्त्व को देखते हुए और आधुनिक कल्याणकारी राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत कर प्रणाली का होना अनिवार्य है। वस्तुतः दोनों प्रकार के कर एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक हैं। इन्हें विशेष परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के अनुसार प्रयुक्त करके उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आय और सम्पत्ति की विषमताओं को कम करने के लिये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के करों का साथ साथ प्रयोग करना चाहिए।

इसके लिए दोनों में सन्तुलन की आवश्यकता है। अतः आदर्श कर प्रणाली वह है जिसमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के करों का समिश्रण हो।

कम से प्रयोग करना चाहिए।

## विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की भूमिका (ROLE OF DIRECT AND INDIRECT TAXES IN DEVELOPING ECONOMIES)

विकासशील देशों में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के करों का उपयोग वांछित क्षेत्रों में मूल संसाधनों को जुटाने, अनुत्पादक निवेश को हतोत्साहित करने, उत्पादीय निवेश को सक्रिय करने, विशिष्ट उपभोग को कम करने और भूमि में

निवेश को हतोत्साहित करने आदि के लिए किया जाता है। ये राष्ट्रीय आय के बढ़े हुए अनुपात को विकास कार्यों में लगाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। आईए हम आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के अंशदान का विश्लेषण करें।

### (क) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष करों की भूमिका (Role of Direct Taxes in Developing Economies)

**1. सट्टेबाजी वाले निवेश को हतोत्साहित करना (Discourage Speculative Investment)** – भूमि, पूंजी, लाभ इत्यादि पर लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष कर सट्टेबाजी वाले निवेशों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार की कर नीति अनुत्पादक निवेश पर नियन्त्रण करती है और उत्पादकता निवेश के लिए उपलब्ध साधनों की अधिक मात्रा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त- कार्य से अर्जित आय की तुलना में किराया तथा ब्याज आदि से प्राप्त अनार्जित आय पर कर की दर उच्च होती है। अनार्जित आय पर उच्च कर दर का कम प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध साधनों की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। नये उद्योगों को विशेष कर व्यवहार के अन्तर्गत विकास छूट, उच्च मूल्य हास, हानि का आगामी वर्षों में अन्तरण, निश्चित अवधि के लिये करों में छूट आदि सुविधायें प्रदान की जा सकती है इस प्रकार की नीति आवश्यक उद्योगों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी ताकि इन उद्योगों के पक्ष में संसाधनों का पुनः आवंटन हो सके।

**2. मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण (Control over Inflation)** – प्रत्यक्ष कर विशेषतः प्रगतिशील कर मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करते हैं। जब तक गैर-कार्यात्मक व्यक्तिगत आय में प्रगतिकारक दरों के विशिष्ट प्रभाव कम हों, वे विकासकारी व्यय से जुड़े स्फीतिकारी दबाव को नियन्त्रित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। व्यक्तिगत आय करों के अतिरिक्त निर्मित लोचमयता की नीति अपनाई जाए ताकि मूल्यवृद्धि के दौरान अतिरिक्त आय का उच्च अनुपात सरकार को जाए। इसके लिए सीमान्त कर दरों में वृद्धि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की कर प्रणाली को निर्मित लोचमय कहा जाएगा जब राष्ट्रीय आय की वृद्धि को बढ़ता हुआ अनुपात सरकार के पास करों के माध्यम से चला जाता है।

**3. कृषि क्षेत्र को उत्प्रेरित करना (Inducement to Agricultural Sector)** – आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में विकास व्यय के कारण कृषि क्षेत्र को विशेष लाभ होता है। आर्थिक विकास के कारण भूमि की लागत में भी वृद्धि होती है। विकास के प्रारम्भिक चरणों में सरकार कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आय का अधिक अनुपात देती है जो कि राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ अनुपात प्राप्त करता है। प्रगतिशील कृषि आय कर, विशेषतः बड़े क्षेत्रों की कृषि आय के इस सन्दर्भ में मदद कर सकती है। इस प्रकार के कर मुद्रास्फीति को रोकने में भी मदद करते हैं और उन किसानों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं जो अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे और कर लगने के बाद भी उच्च आय प्राप्त करेंगे।

**4. उपभोग पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Consumptions)** – आर्थिक विकास के आरम्भिक चरणों में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। विकासीय उद्देश्यों विशेषतः प्रगतिशील आय करों जिनमें स्वतः निर्मित लोचमयता होती है के माध्यम से निवेशीय स्रोतों की मात्रा में वृद्धि की जाए। इस प्रकार के कर जनता को अधिक काम करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे आय में से कर कटौती के पश्चात् भी अपनी आय को बनाए रख सकें। इसके लिए कर प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। बहुत से कम विकसित देश दशकों में विकास की उच्च दर प्राप्त कर सकते हैं यदि वे अपने वास्तविक निवेश की लागत पर अपने बच्चों को उच्च प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिये अधिक व्यय करते हैं।

**5. आय की असमानताओं में कटौती (Reduction in Inequalities of Income)** – कुछ सीमा तक प्रत्यक्ष कर भी आय और सम्पत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करते हैं। यह कुछ व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को कम करते हैं। प्रगतिशील आय कर पूंजी कर, पूंजीगत सम्पत्ति पर वार्षिक कर, मृत्यु शुल्क, उपहार कर, पूंजी प्रभार, पूंजी लाभ कर आदि कुछ सीमा तक आय और सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने और कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता को केन्द्रित न करने का कार्य करते हैं।

**6. समानता के तत्व (Elements of Equity)** – विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों को कर दाताओं की क्षमता के आधार पर लगाकर उनमें समानता का तत्व शामिल किया जाता है। इसका अर्थ है कि जिनमें अधिक भुगतान छमता है उन से अधिक कर लिया जावे और जिनमें कम उनसे कम कर लिये जावे।

## (ख) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में परोक्ष करों की भूमिका (Role of Indirect taxes in Developing Economies)

**1. कार्य के लिए प्रोत्साहन पर कम प्रभाव (Less Effect on Incentive to Work)** – परोक्ष करों जैसे विक्री कर, उत्पाद-शुल्क आदि का कार्य, बचत और निवेश के प्रोत्साहन पर कम विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इन करों को प्रत्यक्ष करों के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कर संभावना को ज्ञात करने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार के कर उपभोग को कम करने विशेषतः किसानों की खाद्य सामग्री की खपत को कम करने में सहायक होते हैं ताकि शहरी लोगों के लिए अधिक बाजार अतिरिक्त उपलब्ध हो सके। यह उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाकर किया जा सकता है ताकि उन्हें अपने उत्पादन का अधिक अनुपात पहले जितने उपभोग पदार्थों को खरीदने हेतु बेचना पड़े।

**2. अधिक सुविधाजनक (More Convenient)** – कुछ परोक्ष कर जैसे आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क आय कर की तुलना में प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक होते हैं। उनकी चोरी नहीं की जा सकती। इन्हें कर एकत्रित करने का सबसे सस्ता उपाय माना जाता है।

**3. विलासिता वाली वस्तुओं में निवेश कम करना (Reduce Investment in Luxury Goods)** – परोक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, विलासिता वाली वस्तुओं के उत्पादन में निवेश कम करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, परोक्ष करों से इन उत्पादों के मूल्य अधिक होंगे और माँग में कमी आएगी। जिससे अधिक उत्पादक और आवश्यक उद्योगों के लिए साधन पैदा होंगे। परोक्ष कर, उच्च वर्गों द्वारा महंगी वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रभावी साधन है। इसका अर्थ है कि अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से विलासिता वाली वस्तुओं के निवेश को हतोत्साहित करके ज्यादा आवश्यक उद्योगों में संसाधनों का पुनर्गठन किया जा सकता है।

**4. अधिक परिवर्तनशील (More Flexible)** – परोक्ष करों को अधिक परिवर्तनशील समझा जाता है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार इनकी दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरणतः कुछ वस्तुएँ जो अब देश में ही बनाई जाने लगी हैं, उनके आयात को आयात शुल्क लगाकर प्रतिबन्धित किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्य नियोजन और मूल्य परिवर्तनशीलता को केवल परोक्ष करों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

**5. कार्य के लिये प्रेरणा (Inducement to Work)** – परोक्ष कर प्रोत्साहन का कारण भी हैं। यह वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके जनता की वास्तविक आय को कम करते हैं। इन करों के कारण लोग अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं ताकि करारोपण के उपरान्त उनकी वास्तविक आय का स्तर पूर्ववत् बना रहे। इस प्रकार की स्थिति दीर्घकाल में आर्थिक विकास का कारण बनती है।

**6. डब्ल्यू. टी. ओ. से संघर्षरत नहीं (Not Conflicting with WTO)** – आयात शुल्क इस प्रकार लगाए जा सकते हैं कि WTO के प्रावधानों से उनका विरोध न हो। विलासिता वाली वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगें। आयात शुल्कों के द्वारा ऐसे नवजात उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता है जिनमें विकास की सम्भावनाएँ हों। संरक्षण के कारण लोगों की बड़ी हुयी आय पर विकास हेतु कर लगाया जा सकता है इससे देश में बढ़ने वाले उपयोग पर नियन्त्रण लगेगा।